

2019/2/6/2011 | 2019/2/6/2011

"The scheduled Tribe People are as much citizens as others and they are entitled to the benefits of guarantees of the constitution. It may be that the law can provide reasonable regulations in the matter of succession to the property with a view to maintain cohesiveness in regard to scheduled Tribe And their properties. But exclusion from inheritance could not be appropriate. -"

कानून की नज़र में अनु जन जाति के व्यक्तियों की पुत्रियों को भी व समी मूलभूत अधिकार प्रदत्त हो जाँ उनके भाइयों को उपलब्ध है तथा अनु जन जाति की पुत्रियों को उनकी पतिव्रत सम्पत्ति से वंचित करना उनके - संवैधानिक अधिकारों (समानता के अधिकार) की कवहेलना करना होगा। अतः प्रश्नगत नामांतरण में अनु जन जाति के व्यक्ति अर्जुन पुत्र मौर्या की मृत्यु के बाद उनकी विवाहित पुत्रियों के नाम तस्दीक नामांतरण संख्या 932 दिनांक 20/9/2011 विधी संगत है। अतः हम हस्तगत अपील को खारीज करते हैं। पत्रावली फैसल शुभा होमा बाद तस्दीक नम्बर से कम होमा दाखिल दफतर है।

14
उपजज अधिकारी
मुंबई न्यायालय (राज)